भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1496
(12 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण महिलाओं को रोजगार

1496. श्री संजय जाधव:
श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में , विशेषकर महाराष्ट्र में , विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत कितनी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान किया गया है;
(ङ) क्या सरकार ने चालू वर्ष और अगले तीन वर्षों के दौरान महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई अन्य योजना तैयार की है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा जुलाई, 2020-जून, 2021 और जुलाई, 2021-जून, 2022 तथा जुलाई 2022-जून 2023 के दौरान किए गए आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आधार पर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामान्य स्थिति [(प्राथमिक स्थिति (पीएस) + गौण स्थिति (एसएस)] के अनुसार अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई हैः

पीएलएफएस से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार अनुमानित बेरोजगारी दर (प्रतिशत में)	
सर्वेक्षण (वर्ष)	**महिलाओं की सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार अनुमानित बेरोजगारी दर (प्रतिशत में)**
पीएलएफएस, 2020-21	2.1
पीएलएफएस, 2021-22	2.1
पीएलएफएस, 2022-23	1.8

टिप्पणी: वर्ष 2022-23 जुलाई, 2022 से जून, 2023 तक की अवधि है के संदर्भ में है।
स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2022-23
सर्वेक्षण में अपनाई गई परिभाषा के संदर्भ में व्याख्यात्मक टिप्पणी **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग) और (घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

i. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करने का प्रावधान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 में यह अपेक्षित है कि महिलाओं को इस प्रकार प्राथमिकता दी जाए कि लाभार्थियों में कम से कम एक तिहाई ऐसी महिलाएं हों जिन्होंने पंजीकरण कराया हो और कार्य के लिए अनुरोध किया हो।

ii. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्गों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह मंत्रालय प्रधान मंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमवाई-जी) कार्यान्वित कर रहा है जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास " के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बुनियादी सुविधाओं वाले 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना है। मकान निर्माण और बुनियादी सेवाओं के अतिरिक्त पीएमएवाई -जी के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार इस कार्यक्रम में मनरेगा के साथ अभिसरण करके 90/95 दिनों का रोजगार भी प्रदान किया जाता है। पीएमएवाई-जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के माध्यम से कुशल और अकुशल दोनों श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। इसके अलावा, 2.46 लाख को प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्री के रूप में प्रमाणित किया गया है। ऐसे राजमिस्त्री पीएमएवाई-जी के तहत मकानों के निर्माण में स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त करने में भी सक्षम हुए हैं।

iii. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत एक उप योजना स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रामीण गरीबों (स्व-सहायता समूह पारिस्थितिकी तंत्र से) की सहायता करना है। स्टार्ट-अप पूंजी प्रदान करने के अलावा , उद्यम को व्यवसाय सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों-उद्यम संवर्धन (सीआरपी-ईपी) का एक कैडर भी विकसित किया गया है।

iv. यह मंत्रालय गरीब युवाओं और महिलाओं का कौशल विकास करके उनके रोजगार प्राप्त करने की योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य से डीएवाई -एनआरएलएम की उप -योजना के रूप में दो कौशल विकास कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहा है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 15-35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए नियोजन आधारित कौशल विकास कार्याक्रम है। डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देशों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत निधियां तथा अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत निधियां निर्धारित करने का प्रावधान है। इसके अलावा, इस योजना के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले सामान्य श्रेणी सहित संबंधित श्रेणियों के लाभार्थियों में एक-तिहाई महिलाएं होनी चाहिए।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) बैंक द्वारा संचालित और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थान है जिनकी स्थापना प्रायोजक बैंक अपने अधीन जिलों में कौशल एवं

उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण देने हेतु करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता और ग्रामीण गरीब अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण लागत का भी वहन करता है। स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार शुरू करने की अभिरूचि रखने वाला और संबंधित क्षेत्र में कुछ बुनियादी जानकारी रखने वाला 18-45 वर्ष आयुवर्ग का कोई भी बेरोजगार युवा आरएसईटीआई में प्रशिक्षण ले सकता है। कुछ प्रशिक्षित अभ्यर्थी नियमित वेतन वाली नौकरी/मजदूरी रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं।

इस मंत्रालय की इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में और महाराष्ट्र में ऐसी ग्रामीण महिलाएं, जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया है उनका ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ) और (च): यह मंत्रालय वर्तमान में इन योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है और वर्तमान वर्ष और अगले तीन वर्षों के दौरान महिलाओं को रोजगार प्रदान करने की इस समय कोई अन्य योजना विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 12.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1496 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

1. कामगार (रोजगार प्राप्त व्यक्ति) की परिभाषा : ऐसे व्यक्ति, जो संदर्भित अवधि के दौरान किसी आर्थिक कार्यकलाप में संलग्न थे अथवा ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक कार्यकलाप में अपनी संलग्नता के बावजूद बीमारी, चोट, अथवा अन्य शारीरिक विकलांगता, खराब मौसम, त्योहार, सामाजिक अथवा धार्मिक समारोह अथवा अन्य आकस्मिकताओं के कारण कार्य के लिए अस्थाई रूप से उपस्थित नहीं हो पाए, वे सभी कामगार हैं।

2. <u>सामान्य स्थिति वाले कामगार की परिभाषा (पीएस+एसएस)</u>: सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के कामगार सामान्य प्रमुख स्थिति (ps) और गौण स्थिति (ss) दोनों पर विचार करके निर्धारित किए जाते हैं। सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के कामगारों में शामिल हैं : (क) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सर्वेक्षण की तारीख से पहले अपेक्षाकृत 365 दिनों की लंबी अवधि के लिए कार्य किया और (ख) शेष जनसंख्या में से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों की संदर्भित अविध के दौरान कम-से-कम 30 दिनों के लिए कार्य किया था।

3. काम की मांग करना अथवा काम के लिए उपलब्ध रहना (अथवा बेरोजगार): ऐसे व्यक्ति जिन्होंने काम के अभाव के कारण काम नहीं किया था लेकिन या तो रोजगार नियोजनों , इन्टरमीडियरी, मित्रों अथवा संबंधियों के माध्यम से अथवा भावी नियोक्ताओं के पास आवेदन देकर अथवा काम और पारिश्रमिक की मौजूदा शर्तों के तहत काम करने अथवा काम के लिए उपलब्ध रहने की इच्छा व्यक्त की , उन्हें 'काम करने अथवा काम के लिए उपलब्ध रहने के इच्छुक' (अथवा बेरोजगार) माना गया।

4. सामान्य स्थिति में बेरोजगार व्यक्ति (पीएस+एसएस): 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान अपेक्षाकृत किसी लंबी अवधि के लिए बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को सामान्य प्रमुख स्थिति में अथवा सामान्य स्थिति (पीएस) में बेरोजगार के रूप में परिभाषित किया गया है। तथापि इस मानदंड के आधार पर कुछ बेरोजगार किसी गौण क्षमता में काम करने वाले हो सकते है। अतः ऐसे व्यक्ति जो न तो पीएस में काम कर रहे हैं और न ही एसएस में काम कर रहे हैं , लेकिन काम (मांग करने वाले अथवा मांग नहीं करने वाले) के लिए उपलब्ध हैं उन्हें सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में बेरोजगार के रूप परिभाषित किया गया है।

<u>(बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या)</u>

बेरोजगारी की दर **(यूआर) :** (रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या+बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या) *100

अनुबंध-।।

लोक सभा में दिनांक 12.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या1496 के के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित अनुबंध॥

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत देश में और महाराष्ट्र में ऐसी ग्रामीण महिलाओं का ब्यौरा जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया

i. **महात्मा गांधी नरेगा योजना**

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की भागीदारी की दर (कुल में से महिला श्रमदिवसों का प्रतिशत) नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23
महिला भागीदारी दर (%)	53.19	54.82	57.47

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं की भागीदारी की दर (कुल में से महिला श्रमदिवसों का प्रतिशत) नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23
महिला भागीदारी दर (%)	42.93	43.67	44.74

ii. **पीएमएवाई-जी**

पूरे देश में इस योजना के तहत प्रशिक्षित कुल 2.46 लाख राजमिस्त्रियों में से 16,523 प्रशिक्षित महिलाएं राजमिस्त्री हैं, जिनमें से 1,487 महाराष्ट्र राज्य से हैं।

iii. **एसवीईपी**

एसवीईपी को 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 358 ब्लॉकों के लिए अनुमोदित किया गया है। अक्तूबर , 2023 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2.56 लाख उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है। महाराष्ट्र में निम्नलिखित ब्लॉकों के लिए एसवीईपी को अनुमोदित किया गया है और अक्तूबर , 2023 तक राज्य में कुल 5,591 उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है-

क्र.सं.	**जिला**	**ब्लॉक**	**सहायता प्राप्त कुल उद्यम (अक्तूबर, 23 तक)**
1	जलना	भोकरदन	290
2	जालना	जालना 1	330
3	पालघर	पालघर	68
4	सोलापुर	बार्शी	2378
5	सोलापुर	मोहोल	2138
6	थाइन	शाहपुर	120
7	यवतमाल	कलंब	137
8	यवतमाल	केलापुर	130
कुल			**5591**

iv. **डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई**

डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान उपलब्धियों का ब्योरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**	
		महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया	**महिलाओं को रोजगार दिया गया/ स्वरोजगार में सहायता की गई**	**महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया**	**महिलाओं को रोजगार दिया गया/ स्वरोजगार में सहायता की गई**	**महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया**	**महिलाओं को रोजगार दिया गया/ स्वरोजगार में सहायता की गई**
डीडीयू-जीकेवाई	महाराष्ट्र	511	1273	204	911	3496	1521
	कुल	**19685**	**22640**	**58443**	**26040**	**132259**	**84116**
आरएसईटीआई	महाराष्ट्र	13998	10295	14620	12275	20915	17112
	कुल	**206794**	**138538**	**257107**	**212400**	**331898**	**272977**

स्रोत: डीडीयू-जीकेवाई - कौशल भारत पोर्टल, आरएसईटीआई - एनएसीईआर

******